

आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

सुश्री सुचित्रा आर. कांबले, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 323/इंदौर/2023

निर्धारण वर्ष : 2020-21

डी एंड एच सैचेरॉन इलेक्ट्रोड्स प्रा.लि., 44-46 इंडस्ट्रियल इस्टेट, किला मैदान, इंदौर	बनाम	आयकर उपायुक्त 1(1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं- एएसीडी 6111 ई PAN- AAACD6111E		

अपीलार्थी की ओर से	कोई नहीं
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	19.02.2025
उद्घोषणा तिथि	28.02.2025

आदेश

सुश्री सुचित्रा आर. कांबले, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2020-21 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, दिल्ली आदेश दिनांक 31.07.2023 के विरुद्ध निदेशित, है जो कि आयकर उपनिदेशक, सीपीसी बेंगलुरु के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के अधीन आदेश दिनांक 18.12.2021 से उद्भूत है ।

2. इस अपील के संबंध में निर्धारिती द्वारा लिखित निवेदन दिनांक 17.01.2025 दाखिल किया गया है जिसमें निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने "प्रत्यक्ष कर विवाद से

विश्वास योजना, 2024" के अधीन आवेदन किया है तथा फार्म सं. 1 दाखिल किया है । निर्धारिती के आवेदन के उत्तर में विभाग द्वारा निर्धारिती को फार्म सं. 2 जारी किया गया है । निर्धारिती द्वारा फार्म सं. 2 की प्रति भी दाखिल की गई हैं । अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नहीं है । निर्धारिती ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है। अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 28.02.2025 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-
(बी.एम. बियाणी)
लेखा सदस्य

हस्ता/-
(सुचित्रा आर.कांबले)
न्यायिक सदस्य

दिनांक : 28.02.2025

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल